भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 325
बुधवार, 6 दिसंबर, 2023/15 अग्रहायण, 1945 (शक) को उत्तरार्थ

सहकारी समितियों के समक्ष आने वाले मुद्दे

325 **डा. सांतनु सेन**:

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सहकारी समितियों और उनके सदस्यों के समक्ष आने वाले मुद्दों के संबंध में शिकायतों के समाधान के लिए सरकार द्वारा कोई शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या भविष्य में ऐसा तंत्र स्थापित करने का कोई इरादा या प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) से (घ): किसी बहुराज्य सहकारी समिति द्वारा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम और नियमों के उपबंधों का उल्लंघन या परिपक्वता पर जमाराशियों का भुगतान न करने के संबंध में प्राप्त शिकायतों की दशा में सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक द्वारा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 और उसके तहत बने नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाती है ।

इसके अलावा, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन अधिनियम, 2023 में बहुराज्य सहकारी समितियों के सदस्यों की शिकायतों का समयबद्ध निवारण हेतु लोकपाल के कार्यालय की स्थापना का उपबंध किया गया है ।

सहकारी समितियां जिनके सदस्य केवल एक ही राज्य से आते हैं, का पंजीकरण संबंधित राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम के उपबंधों के अधीन किया जाता है जिनका विनियमन सहकारी समितियों के संबंधित राज्य पंजीयक द्वारा किया जाता है । जब कभी सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक के कार्यालय में संबंधित राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अधीन पंजीकृत समितियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होती हैं, उन्हें संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सहकारी समितियों के पंजीयक को संबंधित राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अनुसार निवारण हेतु अग्रेषित किया जाता है ।

*****